

Notification

QCI/PADD/VCSLSP/2026-27/91

14 October 2026

Subject: Public Notice regarding closure of the Voluntary Certification Scheme for Lead Safe Paints (VCSLSP)

QCI proposes to formally close the Voluntary Certification Scheme for Lead Safe Paints (VCSLSP), set up with IPEN under an MoU dated 27 April 2016. The scheme has had no approved certification body since October 2021 and has certified no manufacturer. Its 90 ppm lead requirement also duplicates the mandatory limit under the Regulation on Lead Contents in Household and Decorative Paints Rules, 2016, which continues to apply to all manufacturers.

Stakeholders may send comments on the proposed closure within **21 days** of publication of this notice on the QCI website, i.e. by 2 November 2026, to padd_schemes@qcini.org, quoting the reference number above. No new applications will be accepted under the scheme from the date of this notice.

Yours faithfully,


(Kamla Joshi)
Assistant Director, PADD

CC To:

1. All stakeholders and members of the public, through the website of QCI
2. Secy, Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEF&CC) / Central Pollution Control Board (CPCB), for information
3. IPEN, for information

अधिसूचना

QCI/PADD/VCSLSP/2026-27/91

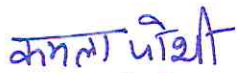
14 अक्टूबर 2026

विषय: Lead Safe Paints की स्वैच्छिक प्रमाणन योजना (VCSLSP) को बंद किए जाने के संबंध में सार्वजनिक सूचना।

भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI), IPEN के साथ दिनांक 27 अप्रैल 2016 को हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (MoU) के अंतर्गत स्थापित Lead Safe Paints की स्वैच्छिक प्रमाणन योजना (VCSLSP) को औपचारिक रूप से बंद करने का प्रस्ताव करती है। अक्टूबर 2021 से इस योजना के अंतर्गत कोई अनुमोदित प्रमाणन निकाय नहीं है तथा किसी भी निर्माता को प्रमाणन प्रदान नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, योजना के अंतर्गत Lead की 90 पीपीएम की सीमा, घरेलू एवं सजावटी Paints में Lead की मात्रा संबंधी विनियम, 2016 के तहत निर्धारित अनिवार्य सीमा के समान है। उक्त विनियम सभी निर्माताओं पर लागू रहेंगे।

हितधारक इस सूचना के QCI की वेबसाइट पर प्रकाशित होने की तिथि से 21 दिनों के भीतर, अर्थात् 2 नवंबर 2026 तक, प्रस्तावित समापन के संबंध में अपनी टिप्पणियाँ padd_schemes@qcin.org पर भेज सकते हैं। कृपया ई-मेल में उपर्युक्त संदर्भ संख्या का उल्लेख करें। इस सूचना की तिथि से उक्त योजना के अंतर्गत कोई नया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

भवदीय,



(कमला जोशी)

सहायक निदेशक, PADD

प्रतिलिपि:

1. QCI की वेबसाइट के माध्यम से सभी हितधारकों एवं आम जनता के लिए।
2. सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) / केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) — सूचनार्थ।
3. IPEN — सूचनार्थ।